

कार्यालय विहित प्राधिकारी / उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राजस्थान)

क्रमांक :

दिनांक :

संपरिवर्तन - आदेश (Conversion Order)

स्व. मूलचन्द मीना कल्याण संस्थान जरिये सचिव श्री सतपाल पुत्र बृजमोहन मीना निवासी महारिया तहसील लालसोट के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

1. आवेदन खातेदार अभिधारी का नाम : स्व. मूलचन्द मीना कल्याण संस्थान
जरिये सचिव श्री सतपाल पुत्र बृजमोहन
2. पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता : ग्राम एवं पंचायत - महारिया तहसील
लालसोट जिला दौसा (राजस्थान)
3. क्या आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य है : नहीं
4. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा

क. ग्राम राजौली तहसील का नाम लालसोट

ख. भूमि का खसरा सं. 295/173 का क्षेत्रफल रकबा 1.11 बीघा

ग. खसरा सं. 295/173 के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए 3923.64 वर्ग मीटर भूमि
संस्थानिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित क्षेत्रफल

टिप्पणी अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।

5. संपरिवर्तन का प्रयोजन : संस्थानिक प्रयोजनार्थ
6. सदेय प्रीमियम की दर : 23.75 रूपयें प्रति वर्ग मीटर
7. चालान की संख्या 53 दिनांक 11.10.2017
जमा कराई गई प्रीमियम की रकम : 93200
8. चालान की संख्या तथा तारीख
शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम : नहीं
9. चालान की संख्या दिनांक
ब्याज यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम : नहीं

कुल राशि : 93200

10. क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है : नहीं
11. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो : नहीं
12. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा -

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा

3. नियम -4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमा अनुज्ञा प्राप्त कियें बिना नहीं किया जायेगा।
5. इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क सीमा को छोड़ते हुए/अप्रोच रोड पर ही संपरिवर्तन माना जावें।


क्रमांक : 668-669
प्रतिलिपी :-

1. जिला कलक्टर महोदय दौसा।
- ✓ 2. तहसीलदार लालसोट।
3. ग्राम पंचायत/सचिव ग्राम पंचायत राजौली तहसील लालसोट।
4. आवेदक श्री




11
(डा.गोरधन लाल शर्मा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट
जिला दौसा

दिनांक : 12/10/17


(डा.गोरधन लाल शर्मा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट
जिला दौसा

नक्शा प्लान क्र. 295/173 कार्ड राजौली तह लालसोट जि. दोसा (राज.) में 4688.75 क. ग. = 3923.64 क. मी. = 1.11 बीघा कास्ते कृषि से संचायिक संपरिवर्तन हेतु

पार्थी - स्व. मूलचन्द मीना कल्याण संस्थान परिये अध्यक्ष क्षीमति राजनी देवी मीना जि. लालसोट जी. दोसा सचिव सतपाल पुत्र राजमोक्ष मीना जि. मध्यादि



C-8
 तहसीलदार
 लालसोट (दोसा)

← लालसोट रांगापूर रोड → उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दोसरंगापूर →

हस्ताक्षर

DRAWN BY
 (PKS)